



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276247
CG-DL-E-16092026-276247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4810]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4810]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 5000(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से बारह माह की अवधि के लिए दो अति आयामी डीथेनाइज़र रिफ्लक्स ड्रम के परिवहन के लिए एल एंड टी हजीरा से अदानी हजीरा पोर्ट- 394510 तक परिवहन हेतु इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथा उल्लिखित अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल भार और आकार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मैसर्स एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उपरोक्त परिवहन के लिए दो अति आयामी माल प्रेषण के परिवहन हेतु एल एंड टी हेवी इंजीनियरिंग का ट्रांसपोर्टर है।
- उपरोक्त माल प्रेषण के आवाजाही में निम्नलिखित प्रमुख मूर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	मेक
01.	जीजे 12 बीडब्ल्यू 8980	वोल्वो 460एचपी
02.	जीजे 12 बीवाई 0452	वोल्वो 460एचपी

03.	जीजे 12 बीजेड 4944	वोल्वो 500एचपी
04.	जीजे 39 टी 2972	वोल्वो 500एचपी
05.	जीजे 12 एजेड 8658	वोल्वो 400एचपी
06.	एमएच 46 बीबी 5843	एमएएन 300एचपी
07.	एमएच 46 बीएफ 0710	एमएएन 300एचपी
08.	एमएच 46 एच 2194	वोल्वो 400एचपी
09.	जीजे 06 बीटी 2184	वोल्वो 460 एचपी
10.	एमएच 46 बीयू 0130	वोल्वो 500 एचपी
11.	जीजे 06 बीवी 2071	वोल्वो 500 एचपी
12.	जीजे 06 बीवी 5703	आईशर 350 एचपी
13.	जीजे 06 बीवी 0305	टाटा प्राईमा 300एचपी
14.	जीजे 06 बीवी 9313	आईशर 350 एचपी
15.	जीजे 06 बीएक्स 0086	आईशर प्रो 350 एचपी
16.	जीजे 06 बीएक्स 2628	आईशर प्रो 350 एचपी
17.	जीजे 06 बीएक्स 2776	वोल्वो 500 एचपी
18.	एमएच 46 बीयू 0170	वोल्वो 500 एचपी
19.	एनएल 01 एजे 5121	वोल्वो 520एचपी
20.	एनएल 01 एजे 4038	वोल्वो 520एचपी
21.	एमएच 46 सीएल 5001	वोल्वो 500एचपी
22.	एमएच 46 सीएल 1221	वोल्वो 500एचपी
23.	एनएल 01 एजे 8031	वोल्वो 400एचपी
24.	एनएल 01 एजे 5091	वोल्वो 400एचपी
25.	एनएल 01 एएल 1941	वोल्वो 400एचपी
26.	एनएल 01 एएल 2001	वोल्वो 400एचपी

3. निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग उपरोक्त आवाजाही में किया जाएगा:-

क्र.सं.	ट्रेलरों का पंजीकरण सं.	मेक	ट्रेलरों की धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
1.	एचआर38Aबी4422	टी॥	4	72
2.	एचआर38Aबी9745	टी॥	6	108
3.	एचआर38Aएफ1243	गोल्डहोफर	4	72
4.	एचआर38Aएफ2618	गोल्डहोफर	6	108
5.	एचआर38ई9822	टी॥	4	72
6.	एचआर38ई6367	टी॥	6	108

7.	एचआर58डी5414	गोल्डहोफर	6	108
8.	एचआर58डी9642	गोल्डहोफर	4	72
9.	एचआर58ई2802	गोल्डहोफर	6	108
10.	एचआर58एफ4215	गोल्डहोफर	6	108
11.	एचआर38जेड5114	टी॥	4	104
12.	एचआर38जेड7506	टी॥	6	156
13.	जीजे12बीवाई3649	वीएमटी	4	72
14.	जीजे12बीवाई3704	वीएमटी	4	72
15.	जीजे12बीवाई6452	वीएमटी	4	72
16.	जीजे12बीवाई9024	वीएमटी	4	72
17.	जीजे12बीजेड0212	वीएमटी	6	108
18.	जीजे12बीजेड0608	वीएमटी	6	108
19.	एमएच46एच2391	गोल्डहोफर	3	78
20.	एमएच46एच2392	गोल्डहोफर	4	104
21.	एमएच46एच2393	गोल्डहोफर	6	156
22.	एमएच46एच2394	गोल्डहोफर	7	182
23.	एमएच43यू6391	गोल्डहोफर	3	78
24.	एमएच43यू6392	गोल्डहोफर	3	78
25.	एमएच43यू6393	गोल्डहोफर	3	78
26.	एमएच43यू6394	गोल्डहोफर	4	104
27.	एमएच43यू6395	गोल्डहोफर	5	130
28.	एमएच43यू6396	गोल्डहोफर	6	156
29.	डीडी01पी9421	गोल्डहोफर	3	78
30.	डीडी01पी9752	गोल्डहोफर	3	78
31.	एमएच46बीएफ0661	वीएमटी	4	72
32.	एमएच46बीएफ0662	वीएमटी	4	72
33.	एमएच46बीएफ2184	वीएमटी	4	72
34.	एमएच46बीएफ1774	वीएमटी	4	72
35.	एमएच46बीएफ1775	वीएमटी	4	72
36.	एमएच46बीएफ1776	वीएमटी	2	36
37.	एमएच46बीएफ1751	वीएमटी	2	36
38.	जीजे06बीटी8472	टी॥	4	72
39.	जीजे06बीटी8309	टी॥	4	72

40.	जीजे06बीटी8267	टी॥	6	108
41.	जीजे06बीटी8104	टी॥	6	108
42.	जीजे06बीटी9250	टी॥	6	108
43.	जीजे06बीवी6258	टी॥	4	72
44.	जीजे06बीवी6324	टी॥	6	108
45.	जीजे06बीवी6180	टी॥	6	108
46.	जीजे06बीवी6145	टी॥	4	72
47.	जीजे06बीटी9485	टी॥	4	72
48.	जीजे12बीजेड2748	ट्राटेक	3	54
49.	जीजे12बीजेड2978	ट्राटेक	4	72
50.	जीजे12बीजेड2661	ट्राटेक	3	54
51.	जीजे06बीजेड2897	ट्राटेक	4	72
52.	जीजे12बीजेड2585	ट्राटेक	4	72
53.	जीजे06बीजेड2559	ट्राटेक	4	72
54.	जीजे06बीजेड2573	ट्राटेक	4	72
55.	जीजे12बीजेड2761	ट्राटेक	6	108
56.	जीजे12बीजेड2628	ट्राटेक	4	72
57.	जीजे06बीजेड2772	ट्राटेक	4	72
58.	एचआर38एए4554	टी॥	4	104
59.	एचआर38एए9471	टी॥	4	104
60.	एचआर38एए4693	टी॥	4	104
61.	एचआर38एए9637	टी॥	6	156
62.	एचआर38एए9995	टी॥	6	156
63.	एचआर55एयू9561	टी॥	6	108
64.	एचआर55एयू3351	टी॥	4	72
65.	एचआर55एयू3231	टी॥	6	108
66.	एचआर55एयू2151	टी॥	4	72
67.	एचआर55एवी4131	टी॥	2	36
68.	एचआर55एवी7101	टी॥	2	36
69.	एचआर38एडी7551	टी॥	6	108
70.	एचआर38एडी5751	टी॥	4	72
71.	एचआर38एडी6651	टी॥	4	72
72.	एचआर38एडी7731	टी॥	4	72
73.	एचआर38एडी9531	टी॥	4	72
74.	एचआर38एडी3231	टी॥	6	108
75.	एचआर38एडी6561	टी॥	6	108

76.	एचआर38एडी6111	टी॥	6	108
77.	एचआर38एडी7011	टी॥	4	72
78.	एचआर38एडी3321	टी॥	4	72
79.	एचआर38एके1011	टी॥	6	108
80.	एचआर55एजेड1851	टी॥	6	108
81.	एचआर38ई6367	टी॥	6	108
82.	एचआर38ई9822	टी॥	4	72
83.	जीजे06बीटी9250	टी॥	6	108
84.	जीजे06बीटी9485	टी॥	4	72
85.	एमएच46एच0601	गोल्डहोफर	4	104
86.	एमएच46एच0602	गोल्डहोफर	4	104
87.	जीजे01सीयू8435	गोल्डहोफर	4	104
88.	जीजे01सीवाई4005	गोल्डहोफर	6	156
89.	जीजे27टीएफ1209	गोल्डहोफर	6	108
90.	एचआर58डी5414	गोल्डहोफर	6	108

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	मात्रा	प्रेषित माल का नाम	अलदान धुरियों का भार मीट्रिक टन (एमटी) में	प्रेषित माल का भार मीट्रिक टन (एमटी)	वाहन का लदान भार (एमटी)	प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)	वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)	प्रेषित माल का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
								लं. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	
i	2	डीथेनाइज़र रिफ्लक्स ड्रम	84एमटी	190 मीट्रिक टन	274एमटी	11.42	10.663	25.789	8.800	9.413	16 धुरी पंक्तियाँ + 1/2 धुरी पंक्तियाँ (कुल 24 धुरी पंक्तियों के समतुल्य) सीधी रेखा में युग्मित की जाएंगी (प्रत्येक धुरी पंक्ति में 12 टायर)।

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है कि:-

(i) दो अधिक आयाम वाले प्रेषित माल के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग:-

एल एंड टी, हजीरा - अडानी पोर्ट, हजीरा।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xvi) माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

(xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।

(xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जिससे माल की आवाजाही में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न हो या अनुमति आरयूबी / एफओबी / ओवरपास को छोड़कर होगी जिसके लिए आवेदक ओडीसी / ओडब्ल्यूसी की आवाजाही के डायवर्जन करेगा।

(xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/08/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 5000(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of two over dimension Deethanizer reflux Drum from L&T Hazira to Adani Hazira Port- 394510 by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Express Global Logistics Pvt. Ltd. is the transporter of L&T Heavy Engineering for transportation of two over dimensional consignment for the aforesaid movements.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
01.	GJ 12 BW 8980	VOLVO 460HP
02.	GJ 12 BY 0452	VOLVO 460HP
03.	GJ 12 BZ 4944	VOLVO 500HP
04.	GJ 39 T 2972	VOLVO 500HP
05.	GJ 12 AZ 8658	VOLVO 400HP
06.	MH 46 BB 5843	MAN 300HP
07.	MH 46 BF 0710	MAN 300HP
08.	MH 46 H 2194	VOLVO 400HP
09.	GJ 06 BT 2184	VOLVO 460 HP
10.	MH 46 BU 0130	VOLVO 500 HP
11.	GJ 06 BV 2071	VOLVO 500 HP
12.	GJ 06 BV 5703	EICHER 350 HP
13.	GJ 06 BV 0305	TATA PRIMA 300HP
14.	GJ 06 BV 9313	EICHR 350 HP
15.	GJ 06 BX 0086	EICHR Pro 350 HP
16.	GJ 06 BX 2628	EICHR Pro 350 HP
17.	GJ 06 BX 2776	VOLVO 500 HP
18.	MH 46 BU 0170	VOLVO 500 HP
19.	NL 01 AJ 5121	VOLVO 520HP
20.	NL 01 AJ 4038	VOLVO 520HP
21.	MH 46 CL 5001	VOLVO 500HP
22.	MH 46 CL 1221	VOLVO 500HP
23.	NL 01 AJ 8031	VOLVO 400HP
24.	NL 01 AJ 5091	VOLVO 400HP
25.	NL 01 AL 1941	VOLVO 400HP
26.	NL 01 AL 2001	VOLVO 400HP

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR38AB4422	TII	4	72
2.	HR38AB9745	TII	6	108
3.	HR38AF1243	GOLDHOFER	4	72
4.	HR38AF2618	GOLDHOFER	6	108
5.	HR38AE9822	TII	4	72
6.	HR38AE6367	TII	6	108
7.	HR58D5414	GOLDHOFER	6	108
8.	HR58D9642	GOLDHOFER	4	72
9.	HR58E2802	GOLDHOFER	6	108
10.	HR58F4215	GOLDHOFER	6	108
11.	HR38Z5114	TII	4	104
12.	HR38Z7506	TII	6	156
13.	GJ12BY3649	VMT	4	72
14.	GJ12BY3704	VMT	4	72
15.	GJ12BY6452	VMT	4	72
16.	GJ12BY9024	VMT	4	72
17.	GJ12BZ0212	VMT	6	108
18.	GJ12BZ0608	VMT	6	108
19.	MH46H2391	GOLDHOFER	3	78
20.	MH46H2392	GOLDHOFER	4	104
21.	MH46H2393	GOLDHOFER	6	156
22.	MH46H2394	GOLDHOFER	7	182
23.	MH43U6391	GOLDHOFER	3	78
24.	MH43U6392	GOLDHOFER	3	78
25.	MH43U6393	GOLDHOFER	3	78
26.	MH43U6394	GOLDHOFER	4	104
27.	MH43U6395	GOLDHOFER	5	130
28.	MH43U6396	GOLDHOFER	6	156
29.	DD01P9421	GOLDHOFER	3	78
30.	DD01P9752	GOLDHOFER	3	78
31.	MH46BF0661	VMT	4	72
32.	MH46BF0662	VMT	4	72
33.	MH46BF2184	VMT	4	72
34.	MH46BF1774	VMT	4	72
35.	MH46BF1775	VMT	4	72
36.	MH46BF1776	VMT	2	36
37.	MH46BF1751	VMT	2	36
38.	GJ06BT8472	TII	4	72
39.	GJ06BT8309	TII	4	72
40.	GJ06BT8267	TII	6	108
41.	GJ06BT8104	TII	6	108
42.	GJ06BT9250	TII	6	108
43.	GJ06BV6258	TII	4	72
44.	GJ06BV6324	TII	6	108
45.	GJ06BV6180	TII	6	108
46.	GJ06BV6145	TII	4	72
47.	GJ06BT9485	TII	4	72
48.	GJ12BZ2748	TRATEC	3	54
49.	GJ12BZ2978	TRATEC	4	72
50.	GJ12BZ2661	TRATEC	3	54
51.	GJ06BZ2897	TRATEC	4	72
52.	GJ12BZ2585	TRATEC	4	72
53.	GJ06BZ2559	TRATEC	4	72
54.	GJ06BZ2573	TRATEC	4	72
55.	GJ12BZ2761	TRATEC	6	108
56.	GJ12BZ2628	TRATEC	4	72

57.	GJ06BZ2772	TRATEC	4	72
58.	HR38AA4554	TII	4	104
59.	HR38AA9471	TII	4	104
60.	HR38AA4693	TII	4	104
61.	HR38AA9637	TII	6	156
62.	HR38AA9995	TII	6	156
63.	HR55AU9561	TII	6	108
64.	HR55AU3351	TII	4	72
65.	HR55AU3231	TII	6	108
66.	HR55AU2151	TII	4	72
67.	HR55AV4131	TII	2	36
68.	HR55AV7101	TII	2	36
69.	HR38AD7551	TII	6	108
70.	HR38AD5751	TII	4	72
71.	HR38AD6651	TII	4	72
72.	HR38AD7731	TII	4	72
73.	HR38AD9531	TII	4	72
74.	HR38AD3231	TII	6	108
75.	HR38AD6561	TII	6	108
76.	HR38AD6111	TII	6	108
77.	HR38AD7011	TII	4	72
78.	HR38AD3321	TII	4	72
79.	HR38AK1011	TII	6	108
80.	HR55AZ1851	TII	6	108
81.	HR38AE6367	TII	6	108
82.	HR38AE9822	TII	4	72
83.	GJ06BT9250	TII	6	108
84.	GJ06BT9485	TII	4	72
85.	MH46H0601	GOLDHOFER	4	104
86.	MH46H0602	GOLDHOFER	4	104
87.	GJ01CU8435	GOLDHOFER	4	104
88.	GJ01CY4005	GOLDHOFER	6	156
89.	GJ27TF1209	GOLDHOFER	6	108
90.	HR58D5414	GOLDHOFER	6	108

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i	2	Deethanizer Reflux Drum	84MT	190MT	274MT	11.42	10.663	25.789	8.800	9.413	16 axle rows+ 1/2 axle rows (equivalent to 24 axle rows) will be Coupled in straight line (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific routes for transportation of two over dimensional consignment:-

L&T, Hazira - Adani Port, Hazira.

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Express Global Logistics Pvt. Ltd..
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra, Gujarat, Haryana, Nagaland and union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.
- xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.
- xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs, RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the applicant shall make diversions for movement of ODC/OWC.
- xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/08/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.